

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर


क्रमांक: लेखा/मुख्यालय/अनुपयोगी सामान/वाहन/2019/ 1062-70

दिनांक: 10-06-2019

आदेश

अनुपयोगी सामान के नष्टीकरण/निलामी से पूर्व गठित की जाने वाली सर्वे कमेटी में सामान्य वित्त एवं लेखा नियम पार्ट-2 के नियम 18(2) के अनुसार निम्नांकित सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट कार्यालय हेतु स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को नामित/अधिकृत करता हूँ:-

1.	2.	3.
क्र.स.	कार्यालय का नाम	नामित अधिकारी का नाम व पता
1.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर	कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, अलवर
2	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, झुझनु	कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, झुझनु
3	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, दौसा	श्रीमती मन्जु देवी, लेखाधिकारी, निदेशक वि. एवं स्वा. सेवाएँ, जयपुर
4	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, नीमकाथाना (सीकर)	सुश्री गार्गी सिंह, उप वित्तीय सलाहकार, निदेशक वि. एवं स्वा. सेवाएँ, जयपुर
5	उप निदेशक औषधि प्रयोगशाला, जयपुर	सुश्री गार्गी सिंह, उप वित्तीय सलाहकार, निदेशक वि. एवं स्वा. सेवाएँ, जयपुर
6	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बूंदी	कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, बूंदी



वित्तीय सलाहकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: लेखा/मुख्यालय/अनुपयोगी सामान/वाहन/2019/ 1062-70

दिनांक: 10-06-2019

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, झुझनु
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, दौसा
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, नीमकाथाना (सीकर)
5. उप निदेशक औषधि प्रयोगशाला, जयपुर
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बूंदी
7. सर्वर रूम प्रभारी, कृपया आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करायें
8. ~~सर्वर रूम प्रभारी, कृपया आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करायें~~  
सर्वर रूम प्रभारी/सम्बन्धित अधिकारी।



वित्तीय सलाहकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर